फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :— श्री कंकु बाई
किस्म मुकदमा :— 212 R.T.A.

विपक्षी :— श्रीमती कैलाश कुंवर वगैरह
पत्रावली संख्या :— 71/21 (प्रार्थना पत्र)
GCMS NO : 2021/240

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 29.07.2024 — पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीया की बहस पूर्व तारीख पेशी पर सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौहराते हुए निवेदन किया कि मामला पैतृक सम्पति में हक अधिकारो का है। विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण के तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की ग्राम ऊआ पटवार हल्का नउवा तहसील खेमली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 165 पर दर्ज आराजी नम्बर 480, 485, 492, 495, 498, 500, 506, 507, 511, 512, 513 किता 11 कुल रकबा 1.0522 हैक्टर भूमि, खाता संख्या 284 पर दर्ज आराजी नम्बर 474, 482, 489, 501 किता 4 कुल रकबा 0.3317 हैक्टर भूमि, ग्राम खादरा पटवार हल्का नउवा तहसील मावली के खाता संख्या 9 पर दर्ज आराजी नम्बर 406 रकबा 0.5423 हैक्टर भूमि विपक्षीगण के नाम हिस्से से दर्ज है। प्रार्थीया द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश करने पैतृक भूमि बताकर अपने हिस्से की घोषणा चाही गई। प्रार्थीया का कथन है कि उक्त भूमि मेरे पिता हेमसिंह के नाम दर्ज थीं जिसमें मेरा भी हक हिस्सा है। नकल जमाबंदी संवत 2036—39 का अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त वादग्रस्त भूमि जो वर्तमान खाता संख्या 165, 406 पर दर्ज है हेमसिंह पिता अन्द्रसिंह के नाम दर्ज थी तथा वर्तमान खाता संख्या 284 पर दर्ज भूमि हेमसिंह पिता अन्द्रसिंह के नाम 1/3 हिस्से से दर्ज थी। प्रार्थीया द्वारा ग्राम पंचायत नउवा द्वारा जारी सजरा प्रामाणित पेश किया है जिसमें स्व. हेमसिंह पिता अन्द्रसिंह की पुत्री बताया गया है। वादग्रस्त भूमि में पिता के निधन के पश्चात प्रार्थीया का नाम दर्ज नही होने से	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 18:57:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीया द्वारा अपने हक हिस्से भूमि की घोषणा चाही गई है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता है। विपक्षीगण यदि सम्पूर्ण भूमि को बिक्रय कर देते है प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति हो सकती है। उपर्युक्त विवेचन कि आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को मूल वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम रूआ पटवार हल्का नउवा तहसील खेमली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 165 पर दर्ज आराजी नम्बर 480, 485, 492, 495, 498, 500, 506, 507, 511, 512, 513 किता 11 कुल रकबा 1.0522 हैक्टर भूमि के 1/3 हिस्से की मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

इसी प्रकार खाता संख्या 284 पर दर्ज आराजी नम्बर 474, 482, 489, 501 किता 4 कुल रकबा 0.3317 हैक्टर भूमि के 1/9 हिस्से की मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

इस प्रकार ग्राम खादरा पटवार हल्का नउवा तहसील मावली के खाता संख्या 9 पर दर्ज आराजी नम्बर 406 रकबा 0.5423 हैक्टर भूमि के 1/3 हिस्से की मौके तथा मौके की यथास्थिति बनाए रखे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के संलग्न रहे।

निर्णय खुले ईजलास में सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर) R.A.S.
सहायक कलक्टर (एसडीओ) मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 18:57:16 IST
Reason: SelfAttested